भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 777
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में कोविड-19 से हुई मौतें

777. श्री राधाकृष्ण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में कोविड-19 से हुई कुल मौतों का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) कर्नाटक राज्य में कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवारों की ओर से प्राप्त कुल आवेदनों और उन्हें दी गई अनुग्रह सहायता का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कर्नाटक राज्य में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के अंतर्गत निराश्रित बच्चों की ओर से प्राप्त कुल आवेदनों और उन्हें दी गई सहायता का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों और मौतों के संबंध में राज्य स्तरीय आंकडे़ एकत्र किए जाते है।** जिला स्तरीय आकड़े राज्यों द्वारा अपने स्तर पर रखे जाते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोविड-19 से हुई मौतों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है ।

(ख): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 जून, 2021 के निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से 'कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं। एनडीएमए द्वारा प्रति मृतक व्यक्ति 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की गई जो इस शर्त के अधीन है कि व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के कारण ही हुई हो। राज्यों द्वारा अनुग्रह सहायता राज्य आपदा अनुक्रिया निधियों से प्रदान की जाती है और राहत वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

(ग): पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत, चिन्हित प्रत्येक बच्चे के डाकघर खाते में यथानुपात राशि इस प्रकार जमा की जाती है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक बच्चे की संचित निधि 10 लाख रुपए हो जाती है। डाकघर की मासिक आय योजना में 10 लाख रुपये के कोष का निवेश करके बच्चे 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वे 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों को सरकारी खर्च पर बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि स्कूली शिक्षा आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को स्कूलों में नामांकित किया जाए। इन बच्चों के प्रवेश को सरल बनाने के लिए, देश भर के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रति कक्षा अधिकतम 2 बच्चों की दर से 10 अतिरिक्त सीटें प्रति केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत की गईं और लाभार्थियों को कक्षा I से XII तक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। निकटतम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रावधान किए गए हैं और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के लाभ दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, कक्षा I से XII तक के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को 20,000/- रु की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में भी बच्चों की सहायता की जाती है। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ नामांकित किया गया है। स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान किया जाता है। जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बताया गया है, कर्नाटक राज्य में जिला-वार और वर्ष-वार जिन बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई है, उनका विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक I

कर्नाटक में कोविड-19 से हुई मौतों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र. सं.	ज़िला	2020	2021	2022	2023	2024*
1	बागलकोट	137	196	36	0	0
2	बल्लारी	597	1091	101	6	5
3	बेलगावी	341	607	60	0	0
4	बेंगलुरु	4344	12074	575	17	4
5	बेंगलुरू ग्रामीण	153	739	20	2	0
6	बीदार	176	233	16	0	0
7	चामराजनगर	131	384	24	0	0
8	चिकबल्लपुर	117	316	30	0	2
9	चिक्कामगलुरु	139	259	9	0	0
10	चित्रदुर्ग	68	144	30	0	0
11	दक्षिण कन्नड़	736	965	161	7	2
12	दावनगेरे	264	344	20	1	1
13	धारवाड़	611	716	89	5	1
14	गदग	141	178	20	0	1
15	हासन	393	871	47	1	0
16	हावेरी	189	454	३१	2	0
17	कलबुर्गी	324	499	68	5	2
18	कोडागू	71	268	16	0	0
19	कोलार	178	465	24	0	0
20	कोप्पल	279	249	16	1	1
21	मंड्या	149	510	53	0	1
22	मैसूर	1012	1416	145	6	10
23	रायचूर	158	175	36	1	1
24	रामनगर	77	246	26	1	0
25	शिवमोगा	348	742	56	5	2
26	तुमकुरु	378	766	79	2	3
27	उडुपी	189	302	59	0	1
28	उत्तर कन्नड़	179	599	41	1	1
29	विजयपुरा	204	291	27	1	0
30	विजयनगर	0	0	0	0	1
31	यादगीर	60	146	5	0	0

* 21.11.2024 तक के अद्यतन आंकड़े

अनुलग्नक II

कर्नाटक राज्य में उन बच्चों की जिला और वर्ष-वार संख्या जिन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत सहायता दी गई है।

क्र.सं.	ज़िला	2021	2022	2023	2024
1	बागलकोट	7	0	0	0
2	बल्लारी	6	1	0	0
3	बेलगावी	14	8	0	0
4	बेंगलुरु	1	3	0	0
5	बेंगलुरू ग्रामीण	28	2	2	0
6	बीदार	8	0	0	0
7	चामराजनगर	3	0	2	0
8	चिकबल्लपुर	14	2	0	0
9	चिक्कामगलुरु	5	1	0	0
10	चित्रदुर्ग	4	1	0	0
11	दक्षिण कन्नड़	8	3	0	0
12	दावनगेरे	2	2	0	0
13	धारवाड़	4	1	0	0
14	गदग	5	0	0	0
15	हासन	8	0	0	0
16	हावेरी	1	3	0	0
17	कलबुर्गी	2	1	2	0
18	कोडागू	4	2	0	0
19	कोलार	5	0	3	0
20	कोप्पल	3	0	0	0
21	मंड्या	3	3	0	0
22	मैसूर	10	1	0	0
23	रायचूर	1	3	0	0
24	रामनगर	5	3	0	0
25	शिवमोगा	5	0	0	0
26	तुमकुरु	7	1	1	1
27	उडुपी	3	0	0	0
28	उत्तर कन्नड़	0	0	0	0
30	विजयपुरा	0	0	0	0
29	विजयनगर	2	6	0	0
31	यादगीर	6	0	0	0

*****